न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

याकूब पिता श्री अब्दुल मुसलमान, आयु 58 साल

निवासी – वार्ड कमांक 15, राहतगढ,

एवं कृषक मौजा पोपलखेड़ी तहसील –राहतगढ़ जिला सागर

..................आवेदक

वनाम

मुलाम पिता श्री अब्दुल मुसलमान आयु 52 साल,

निवासी – कमांक 14 राहतगढ एवं जिला सागर

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ/3 बर्ष 2013–14 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24/03/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है । जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक एवं अनावेदक आपस में सगे भाई हैं, मौजा पोपलखेड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 15 का दोनों भाईयों में आपसी बंटवारा हो चुका है। आपसी बंटवारा में प्राप्त भूमि पर दोनों पक्ष काबिज हैं, खसरा में अलग अलग नंबर कायम होकर अपीलांट का खसरा नंबर 15/6 रकवा 2,080 हैक्टेयर हो गया तथा अनावेदक का खसरा नंबर 15/7 होकर 2,080 हैक्टेयर हो गया था किनतु चालू नक्शा शीट में उपरोक्त रकवा की पक्की मेंड़ कायम नहीं हुई थी , जिसका नाजायज लाभ लेकर रिस्पॉ0 द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत करके आवेदक को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कराये बिना पटवारी/रानि से अपने अनुसार तरमीम प्रस्ताबित करवाकर सीमांत कृषकों को सूचना आदि दिये बगैर आवेदक के कब्जा की भूमि पर अपनी तरमीम/बटांक करवा लिये। आवेदक को रिस्पॉ0 के कब्जा की भूमि पर तरमीम करवा दी। तहसीलदार द्वारा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक /318/ II /2016, जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **याकूब वनाम मुलाम**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-5-16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया , आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रकरण कमांक 23/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24/03/2016 से परिवेदित होकर की हैं, निगरानी के साथ जो सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें प्रमुख रूप से तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–03/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19/05/2014 , प्रस्ताबित बटांक नक्शा प्रदर्श पी 03 दिनांकित 09/01/2014 , पटवारी का प्रतिवेदन दिनांक 09/01/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत कीं गई हैं। 2– मैंने आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया एवं श्रीमति रजनी बशिष्ठ शर्मा के तर्क श्रवण किये। निगरानी के साथ संलग्न आलोच्य आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं आधारों को बताया है, जो कि उनके द्वारा निगरानी आवेदनपत्र में लेख किये गये हैं। 3– प्रकरण में तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/05/2014 के अनुसार अनावेदक मुलाम पिता अब्दुल द्वारा एक आवेदन पत्र ग्राम पोपलखेडी, पटवारी हल्का नंबर 09, स्थित भूमि खसरा नंबर 15/7 रकवा 2.08 हक्टेयर भूमि के नक्शा में मेड़ का निर्माण करने वावद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा पटवारी को मेड़ (नक्शा तरमीम) प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने वावद आदेशित किया गया। प्रस्ताव प्राप्त हाने के उपरांत बिचारण न्यायालय द्वारा रफीक , गुलमुददीन , याकूब , लतीफ को सूचना पत्र जारी किये गये। किन्तु वह न्यायालय में उपस्थित न होने पर तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करके पटवारी प्रस्ताव स्वीकृत करके नक्शा में मेड़ कायम करने का आदेश पारित किया गया। जिसके बिरूद्व याकूब द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दी, कि आवेदक के तहसीलदार के न्यायालय में आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर हैं। अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 24/03/2016 से परिवेदित होकर यह	

निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— यह कि मैंने निगरानी के साथ प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श पी 02, दिनांकित 09/01/2014 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार खसरा नंबर 15/7 रकवा 2.50 हैक्टेयर इस निगरानी के अनावेदक मुलाम बल्द अब्दुल के नाम तथा खसरा नंबर 15/6 रकवा 2.08 हैक्टेयर, आवेदक याकूब बल्द अब्दुल के नाम दर्ज है। मौके पर किसी का काई कब्जा नहीं है, दोनों की भूमि पड़त है। आवेदक मुलाम के खसरा नंबर 15/7 रकवा 2.50 हैक्टेयर में से निम्नानुसार भूमि बिकय की है। खसरा नंबर 15/12 , 15/18 , 15/30 , 15/31 , 15/32 क्रमशः रहीशा बी , रहीशा बी , प्रकाश चंद , नरेन्द्र कुमार, बिपिन कुमार को बिकय की गई है। आवेदक की भूमि खसरा नंबर 15/7 रकवा 2.22 हैक्टेयर बचा है। केतागणों का भी मौका पर कोई कब्जा नहीं है। खसरा नंबर 15/6 में से याकूब ने 15/10 राजकुमार , 15/11 इंद्रकुमार , एवं 15/28 रूपचंद को बिकय कर दी है। याकूब की भूमि खसरा नंबर 15/6 रकवा 2.08 हैक्टेयर बचा है, परंतु उसपर ना तो याकूब का कब्जा है, ना ही केतागणों का कोई कब्जा है। यह भी लेख किया है कि याकूब मेंड़ बनवाने सहमत नहीं है। आवेदक याकूब ने सहमति पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। इसी प्रकार जो प्रस्तावित नक्शा प्रदर्श पी 03 प्रस्तुत किया है, उस पर भी पटवारी द्वारा लेख किया है कि याकूब सहमत नहीं हस्ताक्षर करने से इंकार किया।

4— यह कि जो अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकरी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, उसे इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना दी गई थी, वह स्वतः दिनांक 07/03/2014 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ था। जबकि तहसीलदार द्वारा यह लेख किया है कि सभी अनावेदकों के बिरूद्व उपस्थित न होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। दोंनों ही न्यायालयों के निष्कर्ष विरोधाभाषी हैं। पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि किसी भी पक्ष का किसी भी स्थान पर वाद भूमि पर कब्जा नहीं हैं, जबकि आवेदक का कहना है कि उसके कब्जा की भूमि पर एक पक्षीय तरमीम करवा ली है। प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि में से बहुत सी भूमि छोटे , छोटे टुकड़ों में उभय पक्षों द्वारा बिकीत की गई है, जो अनेक लोगों के नाम पर दर्ज हैं। तरमीम/बटांक करते समय उन लोगों को भी ना तो सूचना दी गई ना ही उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। जबकि वे वादग्रस्त भूमि के केता हैं। उनके द्वारा वैनाम से भूमियां कय कीं गई है। जिनके वैनामा मंगवाकर सीमायें देखी जाना, सीमायें मिलाकर विधि अनुसार प्रकिया अपना कर पुनःनये सिरे से बटांक/तरमीम किया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा भबिष्य में अत्यधिक बिबाद उत्पन्न होना निश्चित है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है,

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1318/ II /2016

तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19/05/2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/03/2016 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार राहतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त खसरा नंबर 15 के सभी हितबद्व पक्षकारों की उपस्थित में स्वयं स्थल निरीक्षण करके भूमि से संबंधित सभी सहखातेदारों/केताओं से उनके वैनामों में दर्शित सीमाओं का मिलान करके, विधिवत रूप से साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये बोलता हुआ आदेश नये सिरे से पारित करके सभी की सहमति प्राप्त होने पर ही बटांक डाले जावें। इस बात का बिशेष घ्यान रखा जाबे कि प्रकरण में सभी हितबद्व पक्षकरों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करके ही आदेश पारित किया जाबे। उपरोक्तानुसार निगरानी स्वीकार करके निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य